अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A2/2

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपील धारा 135(2) की परिधी में आती है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नही है। अतः उक्त अपील वापिस लौटाई जाने के आदेश प्रदान करें। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट द्वारा भी अपनी सहमति पेश की गई।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश 14.10.2022 तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित किया गया है। उक्त इन्तकाल तहसीलदार पदमपुर द्वारा दोनो पक्षो को सनुकर पारित किया है दोनो पक्षो को सुनकर आदेश पारित किये जाने के कारण **इंतकाल विवादित हो गया है।** इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20 6 87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियॉ माननीय संभागीय आयुक्त को है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पदमपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से अपीलार्थी को लौटाई जाती है। हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेधाकिार में न होने के कारण अपील में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार पदमपुर को भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 18.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर